Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत– राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर मुकाम सवाई माधोपुर

रामफुल बनाम मंगली वगै0

किस्म मुकदमा 225 आर टी एक्ट....अपील संख्या 38/20 GCMS NO 2020/00085

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.3.25	उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस अपील पर सुनी गई। अपीलांट के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि रेस्पो0 ने अपीलांट के विरूद्व एक वाद पत्र स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया था। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी की एक पक्षीय बहस सुनी जाकर डिक्री कर दिया गया। जिसके विरूद्व अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का प्रस्तुत किया गया। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्व तरीके से खारिज कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानो के विपरीत अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जबकि स्पष्ट तथ्य यह है कि दिनांक 15.4.97 को मंगली के पति कल्याण पुत्र भैरू रैगर ने रामफूल से 12500/–रूपये लेकर आधा खेत अपीलांट को बेच दिया तथा मौके पर कब्जा संभला दिया गया। अपीलांट लगभग 20 वर्षो से उक्त आराजी पर काबिज काश्त रहकर आराजी मे पुख्ता मकान बना रखा है। धारा 188 के तहत वाद वही व्यक्ति ला सकता है जिसका दावा दायरी के दिन आराजी पर कब्जा हो। दूसरी तरफ रेस्पो0 ने तहसीलदार के यहॉ धारा 183 की कार्यवाही कर रखी है। जिससे स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व है। विवादित आराजीयात पर अपीलांट का कब्जा है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त योग्य है। अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जावे तथा प्रार्थीगण/अपीलांट का प्रार्थना पत्र आर्डर 9 नियम 13 सीपीसी स्वीकार फरमाया जावे। रेस्पो0 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलांट द्वारा प्रकरण को देरी ना करने के उद्वेश्य से झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। अपीलांट रेस्पो0 के स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि ख0न0 963/2467 रकबा 0.06 है0 को फर्जी दस्तावेज के आधार पर हडपना चाहता है। अधिनरथ न्यायालय मे वादीया/रेस्पो0 द्वारा दिनांक 27.1.14 को पेश किये जाने पर अपीलांट की प्रोपर तामील होने के पश्चात दिनांक 2.9.15 को अपीलांट अधिनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ। अपीलांट द्वारा दिनांक 1.10.14 को की गई एक पक्षीय कार्यवाही व डिक्री दिनांक 30.7.15 को अपारत कराने हेतु एक ही प्रार्थना पत्र अधिनरथ न्यायालय मे पेश किया था जो चलने योग्य नही होने के कारण ही निरस्त किया गया है। अपीलांट लठट के जोर पर रेस्पो0 की स्वामित्व की भूमि को हडपना चाहता है। [illegible] 183 बी जिसके संबध मे रेस्पो/प्रार्थीया [illegible] आर टी एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया [illegible] जो विचाराधीन है। विवादित आराजीयात पर अपी[illegible] अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्याया[illegible] मे प्रस्तुत प्रार्थना [illegible] 9 नियम 13 सीपीसी मियाद बाहर पेश किया गया था। जबकि [illegible] न्यायालय द्वारा पारित डिक्री की जानकारी अपीलांट को पूर्व [illegible] थी। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानो के तहत ही प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी खारिज किया है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय मे मूल दावे की पत्रावली एवं प्रार्थना पत्र पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह	

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते
Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:40:10 IST
Reason: SelfAttested
राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

तथ्य सामने आये कि वादीगण/रेस्पो0 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने की इस्तदुआ चाही गई थी। प्रतिवादीगण बाबजूद तामिल के अधिनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्व दिनांक 1.10.14 को एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये तथा वादीगण/रेस्पो0 की एक पक्षीय बहस वाद पत्र पर सुनी जाकर वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया गया। जिस पर अपीलांट द्वारा लगभग 2 माह पश्चात आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 10.1.18 के द्वारा अपीलांट/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने एवं निर्णय दिनांक 30.7.15 को अपील सक्षम न्यायालय मे पेश करने हेतु स्वतंत्र होने का कथन कर अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीयां/रेस्पो0 का वाद पत्र एक पक्षीय बहस सुनी जाकर डिक्री किया गया है। जबकि अपीलांट का कथन रहा कि दिनांक 15.4.97 को मंगली के पति कल्याण पुत्र भैरू रैगर ने अपीलांट रामफूल से 12500/—रूपये लेकर आधा खेत अपीलांट को बेचान किया है तथा मौके पर कब्जा संभला दिया गया है एवं आराजी पर पुख्ता मकान बना रखा है। उक्त तथ्य की पुष्टि उभयपक्षो की साक्ष्य लेने के उपरान्त ही तय हो सकती है। विवादित आराजीयात के बाबत पक्षकारो के मध्य फौजदारी मुकदमे हुए है जिनकी छाया प्रति अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध है। इस प्रकार प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 9/15 मे पारित आदेश दिनांक 10.1.15 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे मूल दावा नम्बर पर लिया जाकर अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण मे विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के समक्ष दिनांक 05.05.2025 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल रिकार्ड होवे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:40:10 IST
Reason: SelfAttested